

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 714/279/2019/ब-7/डी.एम.सी/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/09/2019

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय :- शासकीय प्रत्याभूति नियम 2009 के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले ऋणों के लिये
मापदण्ड निर्धारण हेतु परीक्षण समिति का गठन के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 91/2019/ब-7/डी.एम.सी/चार दिनांक 23.02.2019
..0..

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से आयुक्त
संस्थागत वित्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार परीक्षण समिति का गठन किया गया :-

1. संचालक बजट, सदस्य
2. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंक समिति, सदस्य
3. रिजर्व बैंक आफ इंडिया भोपाल का प्रतिनिधि, सदस्य
4. इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट, एम.पी.चेप्टर के 02 प्रतिनिधि, सदस्य
उक्त समिति में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट, एम.पी.चेप्टर के 02 प्रतिनिधि,
सदस्य शामिल किये गये हैं। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा सी.ए.जी. से Major PSUs के आडिट
के लिये प्राप्त पेनल से निम्नांकित क्रमांक 1 व 2 को समिति में नामांकित किया जाता है। सरल
क्रमांक 3 के नामित को Reserve में रखा गया है:-

1. M/s. L.K Maheshwari & Co., E-7/574, Arera Colony, Opposite 1100
Quarters, Bhopal.
2. M/s. S.L.Chhajer & Co., R-12, Maharana Pratap Zone-1, Bhopal.
3. M/s. Sandeep Mukharjee & Associates, B-62, Kasturba Nagar, Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(नीरज कुमार सिंह)


संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 715/279/2019/ब-7/डी.एम.सी/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20/09/2019

1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय 9,
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.
2. समिति के अध्यक्ष/ सदस्य / सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
3. मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंधन, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुम्बई
4. संयुक्त सचिव, (बजट) आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर
सूचनार्थ।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग